नईदुनिया

'एक राष्ट्र-एक चुनाव' की सही है अवधारणा

डॉ. विश्वास तिवारी

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद की अध्यक्षता में बनी समिति ने 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' पर अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 2029 से सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिशें की गई है। 1982-83 में स्वयं चुनाव आयोग ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिशें की थी। इस समिति ने अपनी रिर्पोट में कहा है कि 2029 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराएं जाएं और उसके अगले 100 दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने चाहिए। भारत के शुरूआती चार चुनाव (1952, 57, 62, 67) इसी के तर्ज पर हो चुके हैं। इसके अलावा स्वीडन, बेल्जियम, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका में भी स्थानीय और राष्ट्रीय चुनाव एक साथ होते है। कुल 47 राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी राय रखी है जिनमें 32 ने इस पर अपना समर्थन दिया है और 15 दल ने इसका विरोध किया है। ज्यादातर लोग 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के समर्थन में है, क्योंकि बार-बार चुनाव होने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

एक अध्ययन के अनुसार लोकसभा से लेकर स्थानीय निकायों तक सभी चुनावों पर एक अनुमान के अनुसार 10 लाख करोड़ रुपये खर्च आता है, जिसे एक साथ चुनाव कराने पर 3 से 5 लाख करोड़ तक कम किया जा सकता है। इन आंकड़ों से यह साफ जाहिर है कि एक साथ चुनाव कराने से धन की बचत हो सकती है, क्योंकि इससे सुरक्षा और प्रशासन संबधी खर्च कम हो जाएंगे। यह तो सर्वविदित है कि चुनावों में घोषित से ज्यादा अघोषित धन खर्च होता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता है और यहीं सबसे ज्यादा काला धन खपाया जाता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एक साथ चुनाव होने से मतदाताओं में भी अधिक उत्साह होगा, क्योंकि उन्हें एक बार ही मतदान करने जाना पड़ेगा। इससे चुनाव प्रचार की अवधि भी कम हो सकती है। इससे धन, बल के प्रभाव को भी नियंत्रण में किया जा सकता है।

चुनाव के समय आचार संहिता काफी समय पहले से लग जाती है जिसके चलते विकास के कार्य प्रभावित होते है, रिक्त पदों पर भर्तियां नहीं हो पाती, सरकारी टेंडरों पर रोक लग जाती है जिससे आमजनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चुनावों में शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, कई स्थानों पर स्कूलों में ही पोंलिग बूथ बनाए जाते है जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। सुरक्षा बलों की तैनाती में कई परेशानियां आती है। चुनावी सभाओं के कारण शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ती है। 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ आंध्रप्रदेश, ओडिसा, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होंगे। एक राष्ट्र एक चुनावों का विरोध करने वाले दलों का कहना है कि ऐसा करने से जिस दल की सरकार केंद्र में है उसे फायदा होगा, स्थानीय मुद्दे प्रभावित होंगे और क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा जिसके लिए केंद्र सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत होना आवश्यक होगा। यानि उसे विपक्ष का साथ भी लगेगा जो कि चुनाव के बाद ही संभव होगा।

पूरे वर्ष भारत में किसी न किसी राज्य

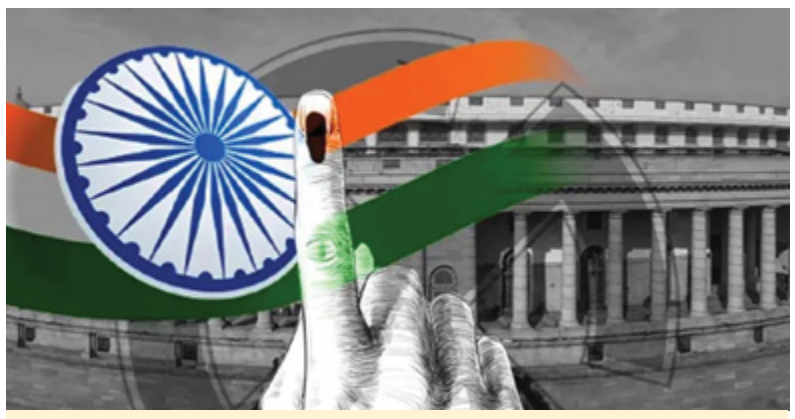

एक राष्ट्र एक चुनाव में एक चुनौती यह भी है कि अगर केंद्र की सरकार समय से पूर्व ही गिर जाएगी तो क्या राज्यों में भी फिर से चुनाव कराए जाएंगे? और फिर राज्य सरकारों की अवधि कितने दिनों होगी? पूरे पांच साल या बचे हुए साल की? इसे एक साथ कराने में उन राज्यों का क्या होगा जहां का निर्धारित कार्यकाल चुनाव तारीख से पहले या बाद में समाप्त हो रहा है? एक साथ चुनाव कराने के लिए विधानसभाओं के कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के अनुरूप बनाने होंगे, ताकि किसी भी राज्य सरकार का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सके। यह कार्य बिना संविधान संशोधन के संभव नहीं है।

में चुनाव होते रहते है इसलिए देश और लोकतंत्र के हित में यह एक कारगर कदम होगा। इस विचार को अमली-जामा पहनाने में कई व्यवहारिक दिक्कते भी आएगी जैसे की इस समिति ने यह भी सिफारिश की है कि तीनों स्तर के चुनाव में उपयोग के लिए एक ही मतदाता सूची और एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र की भी सिफारिशें की है। अक्सर यह देखा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाता अलग-अलग मुद्दों पर मतदान करते है।

इसमें मतदान का प्रतिशत और रूझान भी अलग-अलग दिखाई देता है। जैसे की दिल्ली के विधानसभा चुनावों अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की, लेकिन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने सारी सीटें जीत ली। ऐसे में विपक्ष का यह कहना है कि एक साथ चुनावों में केंद्र की सरकार को फायदा मिलेगा, आसानी से हजम नहीं होता है। इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए सभी दलों को एक साथ बैठकर विमर्श करना होगा, क्योंकि सारे चुनावों के लिए सुरक्षा के उपाय करना, चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था करना, सहायक उपकरणों की बड़े पैमाने पर व्यवस्था करना और चुनावी हिंसा को रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। अभी महाराष्ट्र में ही इस लोकसभा चुनावों में 5 चरणों में चुनाव हो रहे है, जबकि यहां चुनावी हिंसा का कोई इतिहास नहीं है। ऐसे में बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश जैसे राज्य जहां चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है, वहां एक साथ चुनाव कराना आसान नहीं होगा।

एक साथ चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रानिक वोंटिग मशीन और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों को बड़े पैमाने पर खरीदना पड़ेगा। एक साथ चुनाव कराने के लिए आयोग के अनुसार इन दोनों मशीन को खरीदने के लिए नौ हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इसके अलावा इनकी सुरक्षा और भंडारण संबधी लागत में भी वृद्धि होगी।

कई राजनीतिक दल इसे भारत के संघीय ढांचे पर हमला मानते है। 1967 तक दोनों चुनाव साथ हुए, परंतु उसकेबाद कुछ राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसका सबसे पहले इस्तेमाल पं. जवाहर लाल नेहरू ने किया था। उन्होंने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया और केरल की कम्यूनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1972 के दौरान 39 बार इसी धारा का इस्तेमाल कर अलग-अलग राज्यों कि सरकारों को गिरा दिया। इसी तरह केंद्र की गठबंधन की सरकार गिरने से कई बार समय से पहले चुनाव कराना पड़ गए। देश में कुछ राज्यों का पुर्नगठन हुआ और कई नए राज्यों का निर्माण। इसके कारण भी एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को 1968-69 में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।

एक राष्ट्र एक चुनाव में एक चुनौती यह भी है कि अगर केंद्र की सरकार समय से पूर्व ही गिर जाएगी तो क्या राज्यों में भी फिर से चुनाव कराए जाएंगे? और फिर राज्य सरकारों की अवधि कितने दिनों होगी? पूरे पांच साल या बचे हुए साल की? इसे एक साथ कराने में उन राज्यों का क्या होगा जहां का निर्धारित कार्यकाल चुनाव तारीख से पहले या बाद में समाप्त हो रहा है? एक साथ चुनाव कराने के लिए विधानसभाओं के कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के अनुरूप बनाने होंगे, ताकि किसी भी राज्य सरकार का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सके। यह कार्य बिना संविधान संशोधन के संभव नहीं है।

विरोध करने वाले दलों से यह पूछना चाहिए कि यह रिपोर्ट 18 हजार पन्नो की है, तो इतनी विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने इतनी जल्दी कैसे पढ़ ली और समझ ली कि वो इसके विरोध में उतर आए। हर सुधार के खिलाफ बिना पूरी सच्चाई जाने विरोध करना कहां तक उचित है...?

' एक राष्ट्र-एक चुनाव' कराना नरेन्द्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन वह चुनौती से नहीं घबराते है,बल्कि उसे पूरा करके ही मानते है। चूंकि हर समय परिस्थितियां बदलती रहती है, ऐसे में पुराने ढर्रे पर रहने से समाज में जड़ता आती है। देश की भलाई के लिए हमें हमेशा नई संभावनाओं को तलाशते रहना चाहिए।

सत्ता की चाबी युवाओं के हाथ...

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकसभा चुनाव में अब लगभग साफ हो गया है कि सत्ता की चाबी युवा मतदाताओं के हाथ में ही रहने वाली है। यह बात राजनीतिक दलों को भी समझ में आ गई है। यही कारण है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा युवाओं को रिझाने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। दरअसल युवा मतदाताओं की मुखरता ही चुनाव परिणामों में परिलक्षित होती है। साफ है कि लोकसभा के पिछले दो चुनावों में युवा मतदाताओं का रुझान नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है।

हालांकि मजे की बात यह है कि जिन प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों की सरकार रही हैं उन प्रदेशों के युवाओं ने क्षेत्रीय पार्टी को अधिक तरजीह दी है। इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि युवा केवल भाजपा के साथ ही है अपितु युवाओं का रुझान नेशनल और स्टेट पॉलिटिक्स को लेकर अलग-अलग देखा जाता रहा है। हालांकि यह भी इंट्रेस्टिंग है कि कोई भी दल पिछले चुनावों में समग्र रूप से 50 फीसदी मत का आंकड़ा नही छू पाये हैं। दूसरी ओर आजादी के 75 साल बाद भी लाख जतन के बावजूद 33 प्रतिशत मतदाताओं को हम मतदान केन्द्र तक ले जाने में सफल नहीं हो पाए हैं। तस्वीर का एक पहलू यह भी है कि साक्षरता से भी इसका कोई सीधा संबंध इस मायने में नहीं है कि बिहार की साक्षरता दर बढ़ने के बावजूद मतदान प्रतिशत में दो फीसदी की गिरावट देखी गई है। यह तो एक मिसाल मात्र है। पर दो बातें साफ हो जाती हैं कि युवा और महिला मतदाताओं ने मतदान के प्रति पहल की है और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि 2009 और 2014 के चुनावों में महिलाओं और युवाओं के अधिक वोट भाजपा को मिले हैं।

जहां तक दुनिया के देशों के लोकतंत्र की बात है इंडोनेशिया में जितने कुल मतदाता हैं उससे ज्यादा मतदाता तो हमारे यहां 18 से 29 वर्ष की आयु के हैं। फिर 26 से 35 वय के मतदाता भी युवाओं की श्रेणी में ही आते हैं। दुनिया के चार सबसे बड़े मतदाता वाले देशों के कुल मतदाताओं से भी अधिक मतदाता हमारे देश में है। इस साल 18 वीं लोकसभा के लिए 98.6 करोड़ मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे जबकि यूरोपीय यूनियन में 40 करोड़, इंडोनेशिया में 20.4 करोड़, अमेरिका में 16 करोड़ और पाकिस्तान में 12.8 करोड़ मतदाता हैं। खैर यह तो अलग बात हुई पर लोकसभा के पिछले दो चुनावों के परिणामों से साफ हो गया है कि युवाओं ने जिस पर भरोसा जताया उसी की सरकार बनी। मजे की बात यह है कि युवाओं और महिलाओं का यह भरोसा ही नई सरकार खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूती प्रदान करने में अधिक रहा।

चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 18 वीं लोकसभा के चुनाव में 543 सीटों के लिए 96.8 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें एक करोड़ 82 लाख नए मतदाता हैं तो 47.15 महिला मतदाता व 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। 17 वीं लोकसभा के चुनावों में जहां करीब 1.5 करोड़ नए मतदाता या पहली बार मतदान करने वाले मतदाता थे वहीं 18 वीं लोकसभा के चुनावों में 1.82 करोड़ नए मतदाता पहलीबार मताधिकार का उपयोग करेंगे।

दूसरी और गत लोकसभा चुनाव में युवा मतदाताओं को दो हिस्सों 18 से 25 वर्ष व 26 से 35 वर्ष के दो वर्गों में युवाओं को बांटते हुए मतदान प्रतिशत का विश्लेषण किया गया और मजे की बात यह कि युवाओं के दोनों ही वर्ग के युवाओं ने भाजपा को कांग्रेस की तुलना में बड़े अंतर से पसंद किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 से 25 आयु वर्ग के 44 प्रतिशत युवाओं ने भरतीय जनता पार्टी को वोट दिए वहीं 26 से 35 आयु वर्ग के 46 फीसदी युवा मतदाताओं ने भाजपा पर विश्वास जताया। मजे की बात यह है कि दोनों ही आयुवर्ग के मतदाताओं में 26-26 प्रतिशत मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा जताया तो 28 से 30 प्रतिशत तक युवाओं का भरोसा अन्य दलों पर रहा। पर कांग्रेस और भाजपा के बीच युवाओं के भरोसे का अंतर कोई छोटा मोटा नहीं बड़ा अंतर रहा है और यही कारण रहा कि भाजपा या यों कहें कि नरेन्द्र मोदी अधिक मजबूत होकर उभरे।

2019 के मत रुझानों से यहां यह बात भी साफ हो जानी चाहिए, चाहे युवा हो या महिला या नए मतदाता तीनों ही श्रेणी में कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को अधिक समर्थन मिला है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 2024 का चुनाव जिसका बिगुल बज चुका है और पहले चरण के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है और दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रगति पर है, ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल हो उसे युवाओं-महिलाओं को केन्द्रित चुनाव कैंपेन चलाना ही होगा। चुनाव घोषणा पत्रों में इस तरह के एजेंडे रखने होंगे जिससे युवा मतदाता प्रभावित हो सके।

भाजपा जहां 370 और 400 पार की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस और कहने को तो इंडी, क्योंकि अभी इनमें आपसी तालमेल पूरी तरह से नहीं बैठा है, वह भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां पिछले कुछ सालों से लगातार अपना जनाधार खोते हुए हाशिये पर जा रही है ऐसे में भाजपा या नरेन्द्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना किसी दिवास्वप्न से अधिक नहीं लग रहा है।

... तरक्की की नई ऊर्जा डिजिटल अर्थव्यवस्था

जयंतीलाल भंडारी

भारतीय अर्थव्यवस्था की नई शक्ति बनी है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था। हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटर-नेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (इक्रियर) और वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह प्रोसेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की वैश्विक रैंकिंग में अब भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश बन गया है। ऐसे में अब भारत के आम आदमी की डिजिटल सहभागिता बढ़ाने के लिए गांवों व पिछड़े क्षेत्रों तक डिजिटल साक्षरता, स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों-कॉलेजों में अच्छा डिजिटल कौशल, प्रशिक्षण, सस्ते स्मार्टफोन, इंटरनेट की निर्बाध कनेक्टिविटी और बिजली की सरल आपूर्ति जैसी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने से भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। इसी प्रकार डिजिटल भुगतान में भारत विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर है। बीते वर्ष 2023 में देश में कुल डिजिटल भुगतान यूनिफाइड पेमेंटस इंटरफेस (यूपीआई) की हिस्सेदारी बढ़कर 80 फीसदी के करीब पहुंच गई है। यूपीआई लेनदेन की संख्या महज छह साल में 273 गुना बढ़ी है। वर्ष 2017 में 43 करोड़ यूपीआई लेनदेन हुए थे वर्ष 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 11761 करोड़ हो गई।

गौरतलब है कि इक्रियर द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था पर हुई यह स्टडी कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट और सस्टेन जैसे पांच महत्वपूर्ण पैरामीटर्स पर आधारित है। इन पैरामीटर्स पर भारत ने 39.1 स्कोर किया है, जबकि पहले क्रम पर स्थित अमेरिका ने 65.1 और दूसरे क्रम पर स्थित चीन ने 62.3 स्कोर किया है। एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने डिजिटल युग में छलांग लगा दी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट नेटवर्क वाला देश है।

भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी को न केवल युवा अपना रहे हैं बल्कि शिक्षित बुजुर्ग भी इसमें पीछे नहीं हैं। जी20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत को सार्वजनिक सेवाओं की बड़े पैमाने पर डिलीवरी के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई थी। इन्फोसिस के सह-संस्थापक और चेयरमैन नंदन नीलेकणी का भी कहना है कि भारत ने अपने अनोखे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और नई डिजिटल पूंजी के सहारे पिछले 10 साल में वह कर दिखाया, जिसमें पारंपरिक तरीके से पांच दशक लग जाते।

भारत वित्तीय प्रौद्यौगिकी (फिनटेक) और डिजिटल भुगतान के क्षेत्रों में वैश्विक मंच पर चमक रहा है। 50 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। डिजिटलीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में और आधार ने लीकेज को कम करते हुए लाभार्थियों को भुगतान के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर-डीबीटी में मदद की। आईएमएफ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट विश्व आर्थिक परिदृश्य में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद डिजिटलीकरण भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत में वर्ष 2014 से लागू की गई डीबीटी योजना एक वरदान की तरह दिखाई दे रही है। सरकारी योजनाओं के तहत बिचौलियों के भ्रष्टाचार को रोकने, काम के भौतिक रूपों व सरकारी कार्यालयों में लम्बी कतारों से राहत और घरों में आराम से मोबाइल स्क्रीन पर कुछ क्लिक करके विभिन्न सेवाओं, सुविधाओं और मनोरंजन की सहज उपलब्ध सुविधाएं हैं। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने अमेरिका, यूके और जर्मनी जैसे बड़े देशों को पीछे कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई द्वारा वर्ष 2022 से प्रायोगिक स्तर पर खुदरा क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) एक सीमित उपयोगकर्ता समूह (सीयूजी) के बीच जारी की गई थी। प्रायोगिक तौर पर जारी यह डिजिटल मुद्रा फिलहाल लोगों के बीच आपसी लेनदेन तथा लोगों और व्यापारियों के बीच के लेनदेन की सुविधा देती है जिसमें डिजिटल रुपये वाले वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव रखा है कि इस मुद्रा की प्रोग्रामेबिलिटी को ऑफलाइन आजमाया जाए जिससे न केवल डिजिटल मुद्रा को अपनाने के मामले बढ़ेंगे बल्कि सार्वजनिक नीति संबंधी लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि डिजिटल के विस्तार के साथ ही, धोखाधड़ी की आशंकाएं भी बढ़ी हैं। धोखाधड़ी में साइबर लुटेरे ही नहीं, बल्कि कई बड़ी संस्थाएं भी लगी हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में बैंकिंग प्रणाली में कुल 13,530 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में से लगभग 49 प्रतिशत डिजिटल भुगतान-कार्ड या फिर इंटरनेट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अतः डिजिटल आधारित बैंकिंग की दुनिया में सौ फीसदी विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु रणनीतिक प्रयत्न जरूरी है।

लोकतंत्र के महापर्व में संवाद की शालीनता अपरिहार्य

हृदयनारायण दीक्षित

आम चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। सामान्य संवाद की भाषा बदल गई है। शब्द आक्रामक हो गए हैं। संवाद की शालीनता समाप्त हो रही है। कायदे से दलतंत्र को लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। संवाद की भाषा परस्पर प्रेमपूर्ण होनी चाहिए। दल परस्पर शत्रु नहीं हैं। वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को आमजनों तक ले जाने और मजबूत करने के उपकरण हैं। लेकिन शब्द अपशब्द हो रहे हैं। वैचारिक आधार पर दलों के मध्य बहस नहीं है। प्रधानमंत्री तक को अपशब्द कहे गए हैं। भारत के आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्री उत्सव हैं। लेकिन अपशब्दों के प्रयोग वातावरण को उतप्त कर रहे हैं। आचार संहिता में निर्देश दिए गए हैं कि सभी दल और उम्मीदवार जाति, सम्प्रदाय, पंथिक समूह या भाषाई समूहों के मध्य अलगाववाद बढ़ाने से दूर रहेंगे। परस्पर विद्वेष और तनाव बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। संहिता में राजनैतिक दलों की नीतिगत आलोचना की छूट दी गई है। आलोचना में भी संयम बरतने के निर्देश हैं। सबसे बड़ी बात है कि नेताओं और कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी की आलोचना नहीं करेंगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता में इसी तरह के तमाम संयम की अपेक्षा की गई है। इस सब के बावजूद व्यक्तिगत आरोपों के माध्यम से वातावरण को बिगाड़ने का काम हो रहा है।

सृष्टि के जन्म और विकास के अनेक सिद्धांत हैं। चार्ल्स डारविन का सिद्धांत विकासवादी कहा जाता है। स्टीफेन हाकिंग जैसे ब्रह्माण्ड विज्ञानी सृष्टि के उद्भव पर काम करते रहे हैं। आधुनिक ब्रह्माण्ड विज्ञानियों का कथन है कि एक समय सृष्टि का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक छोटे से बिंदु पर थी। इसे ब्रह्म अण्ड भी कहा जाता है। अत्यधिक दबाव के कारण ब्रह्म अण्ड फूटा। उसके कण गतिशील हुए और इस तरह सृष्टि का विकास आगे चल पड़ा।

शब्द की शक्ति बहुत बड़ी है। शतपथ ब्राह्मण के ऋषि ने वाणी को विराट कहा है। बाईबल में घोषणा है कि सबसे पहले शब्द था-'इट वाज लोगोस फर्स्ट'। महर्षि व्यास ने शब्द को ब्रह्म कहा है। शब्दों के सदुपयोग से सृजन की गतिविधि चलती रही है। पतंजलि ने 'महाभाष्य' में ध्यान दिलाया है कि एक ही शब्द का स्थान के अनुसार प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थ देता है। कबीरदास ने भी कहा है कि, शब्द की मार बड़ी है। शब्द साधना स्तुतियों, काव्य और गीतों में प्रकट होती है। शब्द संयम अपरिहार्य है। ऐतरेय उपनिषद के शांति पाठ में प्रार्थना है,हे परमात्मा मेरी वाणी मन में स्थित हों और मन वाणी में स्थित हो जाए। मेरे मन और वाणी साथ साथ काम करे। मेरे संकल्प और वचन विशुद्ध होकर एक रहे। मेरा सुना हुआ और अनुभव में आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे। मेरा ज्ञान मुझे सदा स्मरण रहे। मन का अनुशासन जरूरी है। अनुशासित मन से सुन्दर शब्द और अर्थ निकलते हैं। मन और वाणी एक साम्य में हमारा मार्गदर्शन करें। ऋषि संकल्प करते हैं, 'मैं अपनी वाणी से सदा ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करूंगा, जो दोषरहित हो। मैं सत्य बोलूंगा-सत्यं बदिष्यामि। मेरी रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो। भारतीय परंपरा में शब्द अनुशासन पर अतिरिक्त जोर दिया गया है।'

सृष्टि के जन्म और विकास के अनेक सिद्धांत हैं। चार्ल्स डारविन का सिद्धांत विकासवादी कहा जाता है। स्टीफेन हाकिंग जैसे ब्रह्माण्ड विज्ञानी सृष्टि के उद्भव पर काम करते रहे हैं। आधुनिक ब्रह्माण्ड विज्ञानियों का कथन है कि एक समय सृष्टि का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक छोटे से बिंदु पर थी। इसे ब्रह्म अण्ड भी कहा जाता है। अत्यधिक दबाव के कारण ब्रह्म अण्ड फूटा। उसके कण गतिशील हुए और इस तरह सृष्टि का विकास आगे चल पड़ा। वैज्ञानिक कार्ल सागन ने इसे कॉस्मिक एग 'ब्रह्म अण्ड' कहा है। ऋग्वेद में इसे हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्य का अर्थ स्वर्ण या कोई अति चमकीली धातु है। ऋग्वेद में कहते हैं कि सबसे पहले हिरण्यगर्भ ही थे। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के आरण्यक का भाग है। उपनिषद (खण्ड 1-4) में कहा गया है, 'हिरण्यगर्भ पुरुष ने स्वयं को प्रकट करने के उद्देश्य से तप किया। तप के फलस्वरूप हिरण्यगर्भ फूट गया। इससे फूटकर मुख छिद्र बना। इसी मुखछिद्र से वाणी उत्पन्न हुई।' वाणी आराध्य है। वाणी से ही विचार प्रकट होते हैं। वाद, विवाद और संवाद वाणी से ही संभव है। वाणी के ही सम्यक प्रयोग से संस्कृति का विकास हुआ। ऋग्वेद (10-125) में वाणी सम्पूर्ण प्रकृति को धारण करती है। वाणी में समूचा संसार व्याप्त है। ऋग्वेद में वाणी का सुन्दर विवेचन है। वाणी के चार रूप बताए गए हैं। पहले रूप को 'परा' कहा है। यह मन में स्थित रहती है। दूसरी का नाम 'पश्यन्ती' बताया गया है। इस मनोदशा में वाणी प्रकट करने का विचार उठता है। तीसरी 'मध्यमा' है। इस तल पर विचार शब्द अपना रूप ग्रहण करता है। शब्द योजना बनती है। शब्दों का विवेकीकरण होता है। चौथी का नाम 'बैखरी' बताया गया है। यह प्रकट वार्ता है। लेकिन साधारण लोग पहली तीन स्थितियां कम जानते हैं। वे केवल चौथी का ही प्रयोग करते हैं। वाणी के सभी रूप पालनीय हैं।